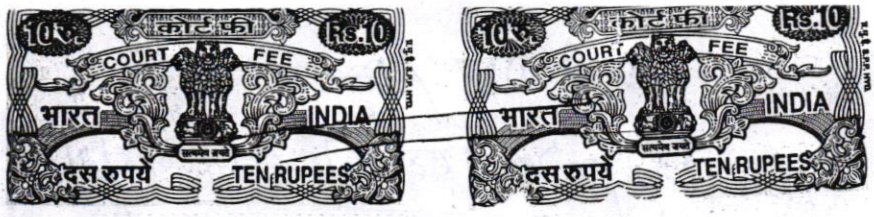

समक्ष न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक

PBR/निगरानी/भोपाल/स्टांपअधि/2018/0176

श्रीमति सीमा त्रिपाठी पत्नि स्व. श्री राहुलदेव त्रिपाठी,
ई–4/203, अरेरा कालोनी, भोपाल ------ आवेदिका

विरूद्ध

म.प्र.शासन ------ अनावेदक

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 53 एवं 56 भारतीय स्टाम्प अधिनियम

कलेक्टर आफ स्टाम्पस के आदेश दिनांक 2/12/2014 के विरूद्ध पुनरीक्षण एवं **माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश दिनांक 13/4/2017** के पालन में आवेदन

महोदय,

आवेदिका की ओर से सविनय निवेदन है:–

1. यह कि आवेदिका एक हिन्दु परिवार की बड़ी बहु के रूप में परिवार की सदस्या है ।
2. यह कि स्व. श्री स्व. श्री राहुलदेव त्रिपाठी आवेदिका के पति और स्व. अरूण मणि त्रिपाठी आवेदिका के ससुर थे ।
   यह कि आवेदिका के पति का स्वर्गवास पूर्व में ही आवेदिका के ससुर के स्वर्गवास के पूर्व ही हो चुका था।
3. यह कि आवेदिका के पक्ष में उनके ससुर श्री अरूणमणि त्रिपाठी ने दिनांक 16.10.2014 को एक दान पत्र उप पंजीयक कार्यालय भोपाल में प्रस्तुत किया था जिसे न्यून मूल्यांकित मानकर धारा 47क(1) में उप पंजीयक महोदय भोपाल ने कलेक्टर आफ स्टाम्पस भोपाल के समक्ष दस्तावेज/दान पत्र उचित मूल्यांकन हेतु भेज दिया।
4. यह कि आवेदिका परिवार की बड़ी बहु अर्थात "पुत्रवधु" है और परिवार की सदस्या है, भारतीय कानून के अनुसार उसे परिवार की सदस्या होने का प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है और म.प्र.स्टाम्प अधिनियम की धारा 36(i) में प्रावधान दिया गया है कि परिवार के सदस्य के पक्ष में दान पत्र निष्पादित किया जाता है तो शासकीय मुद्रांक 2.5 प्रतिशत देय होगा अन्य के मामले में 5 प्रतिशत देय होगा।
5. यह कि कलेक्टर आफ स्टाम्पस ने दिनांक–2/12/2014 को पारित आदेश में आवेदिका को हिन्दु परिवार का सदस्य न मानते हुए स्टाम्प शुल्क में मिलने वाली छूट प्रदान नहीं की और आवेदिका से पूरी 5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर उपरोक्त दान पत्र में वसूला गया।
6. यह कि कलेकटर आफ स्टाम्पस के उक्त आदेश का पालन आवेदिका ने अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुंए (अन्डर प्रोटेस्ट) किया और उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदिका ने उच्च न्यायालय में अपने अधिकार को वापस लिये जाने हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुंत किया।
7. यह कि माननीय उच्च न्यायालय में आवेदन की सुनवाई के दौरान ही मध्य प्रदेश शासन ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का संख्याक 2) एक केन्द्रीय अधिनियम है. मध्य प्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में कतिपय संशोधन व नए उपबंध को प्रस्तावित करते हुए "परिवार" की परिभाषा को नये सिरे से परिभाषित करते हुए मध्य प्रदेश विधेयक क्रमांक–3 सन 2016

...2

श्रीमती सीमा त्रिपाठी / उ0प्र0 शासन

PBRI/शिक्षा/गोरखपुर/स्टाम्प/अपील/2018/0176

26-3-2018

आवेदक अधिवक्ता श्री उपेन्द्र तिवारी, उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया। निवेदन स्वीकार। प्रकरण आवेदक के निवेदन पर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाता है।

अध्यक्ष